तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21/9/23	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण उपस्थित है। प्रकरण में अप्रार्थी पेरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थीगण ने बहस सुनी जाकर आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया। हमने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी सहखातेदारी भूमि ग्राम धनाव के खाता संख्या 38 व 39 में सहवन से अपना नाम लच्छीया पिता श्योजी व फोरिया पिता श्योजी दर्ज होना अंकित करते हुए कथन किया है कि प्रार्थीगण का सही नाम लक्ष्मीनारायण पिता श्योजी व महावीर लाल पिता श्योजी है। प्रार्थीगण का नाम जमाबंदी में लच्छीया व फोरिया अंकित कर दिया गया है। प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लच्छीया व फोरिया पिता श्योजी दर्ज हो जाने से उसे किसी भी प्रकार की सरकारी सहायताओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लच्छीया व फोरिया पिता श्योजी के स्थान पर लक्ष्मीनारायण पिता श्योजी व महावीर लाल पिता श्योजी दर्ज किया जावे। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में लक्ष्मीनारायण ने आधार कार्ड संख्या 503547845744,भामाशाह कार्ड संख्या YUYOASC ,बैंक खाता पास बुक दी बून्दी सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0 शाखा दबलाना खाता नं0 18010105740008698, स्वंय का शपथ पत्र व महावीर लाल ने आधार कार्ड संख्या 788723142104,भामाशाह कार्ड संख्या VIZTWPH प्रस्तुत किये है, जिनमें प्रार्थीगण का नाम लक्ष्मीनारायण पिता श्योजी व महावीर लाल पिता श्योजी अंकित है। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी अपने जबाव में प्रार्थीगण का नाम लच्छीया पिता श्योजी व फोरिया पिता श्योजी के स्थान पर लक्ष्मीनारायण पिता श्योजी व महावीर लाल पिता श्योजी अंकित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 38 व 39 ग्राम धनाव पटवार मण्डल रामचन्द्र जी का खेड़ा जमाबंदी सम्वत् 2073–76 में दर्ज लच्छीया पिता श्योजी व फोरिया पिता श्योजी के स्थान पर लक्ष्मीनारायण पिता श्योजी व महावीर लाल पिता श्योजी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार, दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। W उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)